राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 2533/2023

इंदर मोहन सिंह छाबड़ा पुत्र रणजीत सिंह छाबड़ा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी कान्वेंट स्कूल के पीछे बंद कुए के पास, 942/34 धनवानी निवास अजमेर राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर राजस्थान।
4. प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ 224205.

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री रिपुदमन सिंह

प्रतिवादी (गण) के लिए : श्री सरवन कुमार, एजीसी।

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>05/01/2024</u>

यहां याचिका का प्रार्थना खंड शब्दशः निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"ए) एक उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा, उत्तरदाताओं को दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक 2) के आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता को राहत देने का निर्देश दिया जाए।

बी) एक उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा, दिनांक 28.08.2022 के आदेश में लगाई गई शर्त संख्या 11 को कृपया अवैध घोषित किया जाए।

सी) एक उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन (अनुलग्नक 5) पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

डी) कोई अन्य उचित आदेश जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही समझा जाए, भी कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

2. पहले संक्षिप्त तथ्य।

2.1 याचिकाकर्ता को वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड II (गणित) के पद पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात 2 जुलाई 2019 के आदेशानुसार उसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलूम्बर उदयपुर में पदस्थापित किया गया। याचिकाकर्ता लगातार टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्यरत रहा है।

2.2 याचिकाकर्ता ने महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम), चित्तौड़गढ़ से राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाका मदार अजमेर में स्थानांतरण की मांग की। स्थानांतरण आदेश 28 फरवरी, 2022 को जारी किया गया था। याचिकाकर्ता की सहमति के बावजूद कि प्रतिवादियों से कोई टीए/डीए की आवश्यकता नहीं है, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को पिछले स्कूल से कार्यमुक्त नहीं किया है। याचिकाकर्ता का नाम उक्त आदेश में क्रमांक 41 पर दर्ज है।

2.3 याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से संपर्क किया और जिला शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त निदेशक को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता को स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया; हालांकि, प्रतिवादी/निदेशक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.4.अतः यह रिट याचिका।

3. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में मेरे पास प्रतिद्वंद्वी तर्क हैं।

4. रिट याचिका का मुख्य रूप से दो आधारों पर विरोध किया गया है: (ए) याचिकाकर्ता, महात्मा गांधी स्कूल में नियुक्त होने के नाते, राज्य सरकार के किसी अन्य सरकारी स्कूल में स्थानांतरित / प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता है; (बी) टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त होने के नाते, याचिकाकर्ता को गैर-टीएसपी क्षेत्र में तैनात नहीं किया जा सकता है।

5. दूसरे तर्क को पहले संबोधित करते हुए, 28 फरवरी, 2022 (अनुलग्नक 2) के प्रशासनिक आदेश का अवलोकन, जिसने याचिकाकर्ता सहित विभिन्न शिक्षकों के टीएसपी क्षेत्रों से गैर-टीएसपी क्षेत्रों में कई स्थानांतरणों की सुविधा प्रदान की, इस दावे का खंडन करता है कि टीएसपी क्षेत्र के एक शिक्षक को गैर-टीएसपी क्षेत्र में तैनात नहीं किया जा सकता है।

6. प्रतिवादी स्वयं टीएसपी और गैर-टीएसपी क्षेत्रों के बीच शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, और फिर भी वे याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के अनुरोध का विरोध करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने ऐसा मांगा है। ऐसी असंगतता उनके तर्क को कमजोर करती है।

7. अब पहले तर्क पर ध्यान देते हुए, यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ, जिसकी अध्यक्षता मेरे विद्वान भाई अरुण भंसाली, जे. ने की है, ने पहले ही खंड 10 (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 19426/2022) पर निर्णय दे दिया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि महात्मा गांधी विद्यालय के किसी शिक्षक की सेवाएं किसी अन्य सरकारी विद्यालय में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं। इस खंड को अलग रखा गया, और निर्णय अंतिम हो गया क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा कोई और कानूनी सहारा नहीं लिया गया। उसी का प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

> "11. इसके अलावा तथ्य यह है कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के लिए दिनांक 10.10.2022 के आदेश को पारित करने का विकल्प चुना है और अंत में उक्त स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाला नोट संलग्न किया है, यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करने का संकेत देता है कि स्थानांतरण के आदेश बिना विचार किए पारित किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक का आदेश सामान्य स्कूल में पारित करने का विकल्प चुना है और अंत में यह इंगित किया है कि यदि ऐसा

स्थानांतरण किया गया है, तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट रूप से उनके अपने आदेशों के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दर्शाता है, जिसमें एक ओर स्थानांतरण किया गया है और दूसरी ओर उसे वापस लेने की मांग की गई है, मानो स्थानांतरण का आदेश बिना विचार किए किसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया गया हो, जिस पहलू का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, जहां न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कुछ रिकॉर्ड पर रखा गया है और साथ ही 20.07.2023 के आदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल से सामान्य स्कूल में स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने के बारे में कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है, स्थानांतरण के आदेश में संलग्न खंड 11 को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

8. उपरोक्त निर्णय में उल्लिखित खण्ड 11 याचिकाकर्ता के मामले में खण्ड 10 के समरूप है, इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त निर्णय का लाभ क्यों न दिया जाए।

9. तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

10. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे या तो अपने आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक 2) को क्रियान्वित करें और/या प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार याचिकाकर्ता को जिला अजमेर के भीतर पदस्थ करके नया आदेश पारित करें, जैसा कि पहले आदेश दिनांक 22.08.2022 (अनुलग्नक 2) के तहत किया गया था।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।